न्यायालय सिविल जज:सी०डि० / द्रुतगामी वाराणसी

मुकदमा नम्बर 712/2022

CNR no UPVR05001115-2022

भगवान आदि विशेश्वर विराजमान व अन्य **बनाम्** उ0प्र0 सरकार आदि

दिनांक 30-05-2022- पत्रावली प्रस्तुत हुयी । वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री मान बहादुर सिंह एव श्री शिवम गौर, एवम् श्री एस0एन0 चतुर्वेदी श्री ,अनुपम द्विवेदी उपस्थित आये ।

प्रतिवादी संख्या 1,2,3 कमशः उत्तर प्रदेश सरकार जरिये मुख्य सचिव, जिलाधिकारी वाराणसी , पुलिस आयुक्त वाराणसी की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सुलभ प्रकाश व प्रतिवादी संख्या 4 प्रबन्धक कमेटी अंजुमन इन्तेजामिया मस्जिद की ओर से अधिवक्ता श्री एईस अहमद अंसारी, श्री मुमताज अहमद , श्री एखलाख अहमद , श्री तौहीद खॉ, श्री अभय नाथ यादव एवं श्री मिराजुददीन सिददकी उपस्थित आये ।

वादी पक्ष की ओर से यह निवेदन किया गया कि उक्त वाद उनके द्वारा वादपत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्ति जो कि मन्दिर स्वयंभू भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का है, जो कि प्लाट संख्या 9130 रकबा 1बीघा 6 विस्वा , 9 धूर मोहल्ला व थाना दशाश्वमेध जिला वाराणसी में स्थित है, जिसके पूरब, पश्चिम , उत्तर व दक्षिण की ओर श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर एवं गलियारा बना हुआ है ,का अनन्य स्वामी वादी संख्या 1 व 2 को उद्घोषित किये जाने तथा इस आशय का आदेशात्मक व्यादेश कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को इस आशय का आदेश किया जावे कि वह उपरोक्त सम्पत्ति पर किये गये अवैध निर्माण के ऊपरी भाग को हटा लेवे तथा उक्त का कब्जा वादीगण को हस्तान्तरित कर दें तथा इस आशय के स्थायी व्यादेश हेतु कि प्रतिवादीगण व उनके एजेन्ट , अधिकारी , एवं कर्मचारीगण आदि को सदा-सर्वदा के लिये निषेधित कर दिया जावे कि वह उपरोक्त सम्पत्ति पर वादीगण के दर्शन, सेवा पूजा , रागभोग , आरती व अन्य धार्मिक कृत्यों को पूरा किये जाने में कोई भी बाधा उत्पन्न न करें ।

वादीगण की ओर से आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या 8ग पर सुने जाने हेतु निवेदन किया गया है । इस स्तर पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल की ओर से मौखिक रूप से यह कथन किया गया कि अभी तक उनको वादपत्र की कॉपी प्राप्त नही करायी गयी है । जिस कारणः उनके द्वारा प्रार्थनापत्र कागज संख्या 8ग के सापेक्ष कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नही की जा सकी है । अतः उन्हें वादपत्र की कॉपी प्राप्त करायी जावे एवं समय प्रदान किया जाय। प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण की ओर से प्रार्थनापत्र कागज संख्या 16 ग प्रस्तुत कर इस आशय का कथन किया गया कि प्रस्तुत मूल वाद के वादपत्र की कॉपी उन्हें प्राप्त करायी जावे तथा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कम-से-कम एक माह का समय प्रदान किया जाये

उभय पक्ष को प्रार्थनापत्र 16 ग पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

उक्त से स्पष्ट होता है कि वादी पक्ष द्वारा अब तक प्रतिवादीगण को वादपत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की प्रतियॉ प्राप्त नहीं करायी गयी है और ना ही प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति आदि प्रस्तुत की गयी है । चूँकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्तागण न्यायालय के समक्ष उपस्थित है तथा उनके द्वारा यह कथन किया जा रहा है कि बिना वादपत्र की कॉपी प्राप्त किये उनकी ओर से प्रार्थनापत्र 8-ग पर बहस नही की जा सकती है । ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सुनवायी व आपत्ति का उचित अवसर प्रदान किये प्रार्थनापत्र 8ग पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं है । अतः वादीगण को आदेशित किया जाता है कि अविलम्ब आज ही प्रतिवादीगण को वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र कागज संख्या 8ग सहित अन्य आवश्यक अभिलेखों की प्रति उपलब्ध करावें । तदनुसार प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 16 ग निस्तारित किया जाता है । उपरोक्त प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह वाद में नियत अग्रिम तिथि तक व उसके पूर्व अपनी आपत्ति एवं जवाबदेही प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

www.liveLaw.in

प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से वाद में कोई भी उपस्थित नही है । अतः प्रतिवादी संख्या 5 को नियत तिथि के लिये नोटिस जारी हो । उक्त हेतु वादी उचित पैरवी करना सुनिश्चित करे । चूँकि माह जून में सिविल के वादों में किसी प्रकार की सुनवायी नही की जाती है । अतः पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र कागज संख्या 08 ग दिनांक 08–07–2022 को पुनः प्रस्तुत हो ।

दिनांक–30–05–2022

(महेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सिविल जज, सी0डी0 / एफ0टी0 सी0,
वाराणसी।

जे0ओ0 कोड –यू0पी02271

टाईपकर्ता–

संजय कुमार तिवारी,
आशुलिपिक

WWW.LIVELAW.IN